भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3699
उत्तर देने की तारीख 03 अप्रैल, 2025

डाक/कूरियर सेवा का दुरुपयोग

3699. डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जहां विस्फोटक सामग्री या अवैध ड्रग्स डाक और कूरियर सेवाओं के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा क्या योजना बनाई जा रही है;

(ख) सरकार को, डाक और कूरियर सेवाओं के माध्यम से भेजी जाने वाली सामग्रियों के ब्यौरे की आवश्यकता क्यों नहीं है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले डाक/कूरियर सेवाओं के दुरुपयोग के संबंध में गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों से संपर्क किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी, हां। डाक विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी है, जहां डाक सेवाओं के माध्यम से अवैध ड्रग्स या विनिषिद्ध वस्तुएं भेजी जा रही हैं।

(ख) इस संबंध में, ग्राहकों और विभागीय स्टाफ की जानकारी हेतु, उन निषिद्ध वस्तुओं पर समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, जिनको डाक चैनल के माध्यम से बुक नहीं किया जा सकता। डाक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विभाग ने डाक चैनल के माध्यम से अवैध ड्रग्स और मादक पदार्थों को गैर-कानूनी रूप से भेजे जाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए माल या मर्चंडाइज वाली विदेश डाक-वस्तुओं हेतु 'नो-योर-कस्टमर (केवाईसी)' मानदंडों पर समग्र अनुदेश जारी किए हैं। किसी अंतरराष्ट्रीय डाक-वस्तु की बुकिंग के लिए पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति जमा करवाने का अधिदेश है।

डाकघर विनियमों के विनियम 96 (9) के अनुसार, प्रत्येक पार्सल के साथ उसके अंतर्वस्तु आदि के विवरण वाले प्रपत्र में घोषणा संलग्न किया जाना अपेक्षित है। किसी भी घरेलू पार्सल की बुकिंग के लिए सभी ग्राहकों हेतु एक ग्राहक घोषणा प्रपत्र (सीडीएफ) को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, डाकघर विनियम 120 (3) के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय डाक-वस्तुओं की बुकिंग के लिए ग्राहक द्वारा उचित सीमा-शुल्क संबंधी घोषणा प्रपत्र का प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

(ग) इस विषय के संबंध में विभाग, गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में रहता है।

*****